

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 104/2013.

No. E (NG)-II/2005/RR-1/14.

New Delhi, dated: 8/10/2013

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units
(As per standard mailing list)

Sub: Acceptance of certificates/qualifications awarded by Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna for the purpose of employment on the railways.

Ref: This office letter of even number dated 16/11/2005 (RBE No.195/2005).

Vide letter under reference, directions were issued to railway establishment that certificates awarded by **Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna** are not recognized for the purpose of appointment/promotion in the Central Government offices.

The issue has been examined in consultation with M/o Human Resource Development, Department of Personnel & Training, M/o Personnel, Public Grievances and Pensions and Council of Boards of School Education in India (COBSE), Delhi and it is clarified that the certificates issued by **Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna, 414 F, Govindayan, East Boaring Canal Road, Patna – 800 001** shall be treated as valid for employment on the railways and for pursuing higher studies. As regards validity of certificates issued by Bihar Sanskrit Shiksha Board for employment purposes, it may be got verified from the said Board, wherever necessary.

The above instruction will be valid from 05/10/2012 when **Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna** has been granted membership by Council of Boards of School Education in India (COBSE), Delhi. Cases pertaining to recruitments/engagements finalized prior to the date of issue of these instructions need not be re-opened.

Please acknowledge receipt.

{This disposes off Northern Railway's letter No. 220E/OpenMarket/RRC/2010 dated 03/6/2013}

8/10/13
(Harsha Dass)
Director Estt. (N)-II
Railway Board.
....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं. 104/2013

सं. ई(एनजी)-II/2005/आरआर-1/14

नई दिल्ली, दिनांक 8 /10/2013

महाप्रबंधक (पी),
सभी ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों/योग्यताओं (qualifications) को रेलों में नियुक्ति के लिए स्वीकार करना।

संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 16/11/2005 का समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 195/2005)।


संदर्भाधीन पत्र के तहत रेल स्थापना को निर्देश जारी किए गए थे कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए मान्य नहीं हैं।

मानव संधाधन विकास मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मंत्रालय और भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई), दिल्ली के साथ परामर्श करके इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, 414 एफ, गोविन्दायन, ईस्ट बोर्डिंग कैनाल रोड, पटना - 800 001 द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, रेलों में नियुक्ति और उच्च शिक्षा के लिए वैध माने जाएंगे। जहां तक रोजगार के प्रयोजन के लिए बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की वैधता का संबंध है, जहां कहीं आवश्यक हो, इसे उक्त बोर्ड से सत्यापित करवाया जा सकता है।

उपर्युक्त अनुदेश दिनांक 05.10.2012, जब बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई), दिल्ली द्वारा सदस्यता प्रदान की गई थी, से वैध होगा। इन अनुदेशों के जारी होने की तिथि से पूर्व अंतिम रूप दी गई भर्तियों/नियुक्तियों के मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया पावती दें।

(इससे उत्तर रेलवे के दिनांक 03.06.2013 के पत्र सं. 220ई/ओपन मार्केट/आरआरसी/2010 का निपटारा हो जाता है।)


(हर्षा दास)

निदेशक स्था. (अराजपत्रित)-II
रेलवे बोर्ड.